न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 05/2016 RCMS No.–2016/00069

अशोक कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री हनुमान सहाय शर्मा, उम्र–43 साल, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम जमवारामगढ एस.बी.बी.जे. बैंक के सामने, जमवारामगढ, जिला जयपुर।

..निगरानीकर्ता

बनाम

1. नाथु लाल शर्मा पुत्र स्व. श्री बंशीधर शर्मा, उम्र–53 साल, जाति–ब्राहम्ण, निवासी ग्राम लाली, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, हाल निवासी 4/265 विधाधर नगर, जयपुर।
2. श्रीमान अध्यक्ष एवं प्रधान महोदय, प्रशासन एवं स्थापना समिति, पंचायत समिति जमवारामगढ, जिला जयपुर।
3. ग्राम पंचायत जमवारामगढ, जरिये सरपंच, पंचायत समिति जमवारामगढ, जिला जयपुर।
4. श्रीमति बिला देवी धर्म पत्नि श्री बाबू लाल गुर्जर, आयु–42 साल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम नरपतियावास, तह. जमवारामगढ, जिला जयपुर।
5. श्रीमति केसर देवी धर्म पत्नि हंसराज गुर्जर, आयु 32 साल, जाति गुर्जर निवासी ग्राम नरपतियावास तह.–जमवारामगढ, जिला–जयपुर।

........गैर निगरानीकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्व आदेश अध्यक्ष एवं प्रधान, प्रशासन एवं स्थापना समिति, पंचायत समिति जमवारामगढ, दिनांक 19.11.2014 बउनवानी नाथूलाल शर्मा बनाम ग्राम पंचायत जमवारामगढ व अन्य, प्रकरण संख्या 6/2011

उपस्थितः–

1. श्री शिवशंकर शर्मा अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री सम्पत राम शर्मा अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) न्यायालय सत्यमेव जयते जयपुर

निर्णय दिनांकः 27/08/2019

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी अध्यक्ष एवं प्रधान, प्रशासन व स्थापना समिति पंचायत समिति जमवारामगढ द्वारा निगरानीकर्ता के हक में ग्राम पंचायत जमवारामगढ द्वारा जारी पट्टे को अपील संख्या 06/2011 में आदेश दिनांक 19.11.2014 द्वारा निरस्त किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर दिनांक 22.04.2015 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या एक की ओर से श्री सम्पतराम शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री मोहममद इजलास प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. दिनांक 14.08.2018 को पेश किया गया। दिनांक 15.01.2019 को प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. स्वीकार किया गया एवं संशोधित उनवान पेश किये जाने पर शामिल मिसल किया गया। विकास

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अधिकारी पं. स. जमवारामगढ के पत्रांक 2820 दिनांक 17.06.2015 द्वारा मूल पत्रावली पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। वकील पक्षकारान की बहस उपस्थित अभिभाषक सुनी गई। दौराने बहस गैर निगरानीकार संख्या 4 व 5 के अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि निगरानीकर्ता के आवेदन पर निगरानीकर्ता की कब्जेशुदा भूमि पर दिनांक 14.09.1999 को नियमानुसार पंचायती राज अधिनियम एवं नियमों की पालना करते हुए पट्टा संख्या 15 जारी किया गया था। उक्त भूमि का उपयोग उपभोग निगरानीकर्ता ही करता आ रहा है। विपक्षी संख्या 1 नाथूलाल द्वारा निगरानीकर्ता के कब्जेशुदा पट्टे की भूमि को निरस्त करवाने हेतु अध्यक्ष एवं प्रधान, प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ के समक्ष अपील पेश की एवं प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ के आदेश दिनांक 19.11.2014 निगरानीकर्ता के वैधानिक पट्टे का निरस्त कर दिया गया। निगरानीकर्ता ने प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ के निर्णय के विरूद्व न्यायालय हाजा में निगरानी पेश की है। निगरानीकर्ता ने दिनांक 14.09.1999 को नियमानुसार एक प्रार्थना पत्र अपनी कब्जेशुदा आबादी भूमि पर पट्टा प्राप्त करने हेतु सरपंच ग्राम पंचायत जमवारामगढ के समक्ष पेश किया एवं प्रार्थना पत्र के साथ पट्टा प्राप्ति हेतु राशि भी जमा करवाई गई। जिस पर आगे कार्यवाही करते हुए नियमानुसार ग्राम पंचायत जमवारामगढ द्वारा वैधानिक प्रकिया अपनाते हुए मौका स्थिति देखने के लिए तीन वार्ड पंचो की कमेटी बनायी गयी एवं मौका रिपार्ट में पट्टा जारी करने सिफारिश की गई, साथ ही कौरम ने मौका समिति के प्रतिवेदन के पश्चात आपत्ति हेतु आपत्ति पत्र जारी किया एवं निर्धारित समय एक माह में कोई आपत्ति नहीं आने पर निगरानीकर्ता को मिसल संख्या 58/99 में पट्टा संख्या 15/2004 दिनांक 27.09.2004 को जारी किया गया एवं रसीद संख्या 3238 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार निगरानीकर्ता से नियमानुसार राशि 9894 रू प्राप्त किये। किन्तु अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ द्वारा उक्त पट्टा जारी करने की प्रकिया को नजरअंदाज करते हुए गैर निगरानीकार संख्या 1 की अपील पर विधि विरूद्व निर्णय पारित कर पट्टा निरस्त कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ ने निगरानीकर्ता को नुकसान पहुंचाने की कुचेष्टा से पक्षपातपूर्ण निर्णय पारित किया है। समिति की आदेशिका दिनांक 16.05.2012 से स्पष्ट है कि उक्त दिनांक को निगरानीकर्ता प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ के समक्ष उपस्थित हुआ किंतु उसको यह कहकर भेज दिया कि आपके विरूद्व प्रस्तुत की गई अपील खारिज कर दी गई है इसलिए निगरानीकर्ता निश्चिंत हो गया किंतु आदेशिका दिनांक 16.05.2012 में आगामी पेशी 12.09.2012 अंकित कर दी गई और

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) सत्यमेव जयते जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

आदेशिका का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 16.05.2012 के बाद अगली आदेशिका दिनांक 31.01.2014 उल्लेखित की गई जिसमें उन्हे नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। दिनांक 31.01.2014 की आदेशिका मं पत्रावली वास्ते इंतजार व तामील रखी गयी। प्रकरण में प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ द्वारा पक्षकारो को कोई नोटिस जारी नहीं किए गए एवं प्रशासन एवं स्थापना समिति ने अपने आलोच्य आदेश में निगरानीकर्ता के पट्टे को निरस्त करने के विशेष कारण का अंकन नहीं किया चूंकि प्रकरण में ऐसा कोई ऐसा कारण नहीं था जिसके आधार पर निगरानीकर्ता का नियमानुसार जारी किया गया पट्टा निरस्त किया जा सके। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा प्रकरण संख्या 6/2011 बउनवानी नाथूलाल शर्मा बनाम ग्राम पंचायत जमवारामगढ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.11.2014 को निरस्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–एक ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम लाली, स्थित निगरानीधीन भूमि पर अप्रार्थी संख्या एक का ही कब्जा है एवं ग्राम पंचायत द्वारा नियमविरूद्व जाकर अप्रार्थी की कब्जेशुदा जमीन पर पट्टा जारी करवा लिया जिसके विरूद्व प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ में अपील की गई। अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ द्वारा विधिसम्मत विवादित पट्टा खारिज कर दिया। दिनांक 17.09.1998 को निगरानीकर्ता एवं गैर निगरानीकार के मध्य सहमति से एक विभाजन इकरारनामा तहरीर किया गया था जिसके अनुसार खसरा नंबर 899 में निगरानीकर्ता को उक्त भूमि का 1/6 भाग ही दिया जाना तय हुआ था जिसकी अवहेलना कर निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत से सांठ–गांठ कर गैर निगरानीकर्ता को बिना कोई नोटिस दिये उक्त पट्टा जारी करवा लिया। ग्राम पंचायत को निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा निगरानीकर्ता को दिये जाने का के आधार पर खारिज किया गया है। अतः निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। वकील गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त जमीला बानो बनाम राज.सरकार 2009 (1) डी.एन.जे. राज. पेज नंबर 215, दीलिप सिंह बनाम राज. सरकार आर.आर.डी. 1986 पेज 22, बालूराम बनाम घासीराम आर.आर.टी. 2011 (1) पेज 614 पेश किये।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार एवं गैर निगरानीकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि निगरानीकर्ता प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ के समक्ष प्रस्तुत अपील में उपस्थित हुआ। प्रश्नगत पट्टे की भूमि के संबंध में पूर्व में रामेश्वर प्रसाद के पट्टा

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

आवेदन पर गैर निगरानीकार संख्या 1 व उसके भाई का 333 वर्गगज भूमि पर कब्जा माना है। गैर निगरानीकार संख्या 2 अध्यक्ष एवं प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ अनुसार ग्राम पंचायत को 300 वर्गगज भूमि का ही पट्टा देने का अधिकार है जबकि प्रकरण में ग्राम पंचायत जमवारामगढ द्वारा 761.11 वर्गगज भूमि का पट्टा संख्या 15 जारी किया गया इस आधार पर गैर निगरानीकार संख्या 2 के आदेश दिनांक 19.11.2014 द्वारा निरस्त कर दिया गया। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की दलील है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायत राज नियमों की पालना की गई है एवं निगरानीकार का ही विवादित भूमि पर कब्जा है एवं विकास अधिकारी पं.स. जमवारामगढ ने निगरानीकार को सुनवाई का अवसर न देते हुए निगरानीधीन निर्णय दिनांक 19.11.2014 पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता अधीनस्थ न्यायालय पंचायत समिति जमवारामगढ में उपस्थित हुआ जिससे स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज/सबूत पेश नहीं किया जिससे ये स्पष्ट हो कि विवादित भूमि पर निगरानीकर्ता का ही कब्जा है। अध्यक्ष एवं प्रधान, प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ द्वारा न्यायिक प्रकिया अपनाते हुए अपील संख्या 06/2011 उनवानी नाथू लाल शर्मा बनाम ग्राम पंचायत जमवारामगढ में निगरानीधीन निर्णय 19.11.2014 पारित किया है उक्त निगरानीधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सत्यमेव जयते जयपुर (राज.)

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल खान)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर